(b) The Govt. of NCT of Delhi has reported that Malhotra Committee was set up on 4.12.95. The terms of reference of the Committee were to examine all aspects relating to building Bye-laws keeping in view the needs and requirements of the people of Delhi.

The Composition of the Committee is as follows:—

1. Prof. Vijay Kumar Malhotra Member of Parliament — Chairman
2. Shri Jagpravesh Chander Leader of the Opposition & Member of Delhi Assembly — Member
3. Shri Ram Vir Singh Bidhuri Member, Delhi Assembly — Member
4. Shri Nand Kishore Garg, Member, Delhi Assembly — Member
5. Shri Shanti Desai — Member
6. Shri S.S. Safi, Ex-Chairman, TCPO, Ministry of Urban Development — Member
7. Principal Secretary, Urban Development Deptt. — Member
8. Commissioner, MCD — Member
9. Vice Chairman, DDA — Member
10. Chairman, NDMC — Member
11. Shri Ashok Kapoor. IAS — Member Secy.

(c) Government of NCT of Delhi has indicated that the report of the Committee is at finalisation stage & likely to be submitted shortly.

Vallabhbhai Patel Chest Institute

*26. SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI:
SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Vallabhbhai Patel Chest Institute under the Delhi University was established in the 50s, which is funded by the Ministry of Health and Family Welfare, as a pioneer institute, undertaking post-graduate teaching and research in the field of chest diseases and is now headed by a Botanist as Director; and

(b) if so, whether any decision has been taken by the Medical Council of India to derecognise the Institute; if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) The Vallabhbhai Patel Chest Institute (VPCI), Delhi was established in 1953 for conducting research in various chest diseases and for training of post-graduates in Tuberculosis and Respiratory Diseases. The Institute is administered by the University of Delhi and is funded by the Ministry of Health & Family Welfare through grant-in-aid. The present Director of the Institute has been appointed by the Delhi University in accordance with the rules laid down by the University for the post of Director of the Institute.

The Medical Council of India has recommended de-recognition of the Institute for the award of post-graduate degree and diploma under the Delhi University as according to the Council, the clinical faculty of the Institute is headed by a non-medical person and a large number of faculty members are also non-medical.

सीमा-क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती राज्यों में विकास कार्य

*27. श्री महेश्वर सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत कुछ वर्षों में सीमा-क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती राज्यों में सड़कों के निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस संबंध में किस-किस राज्य को कितनी-कितनी धनराशि किस-किस कार्य के लिए प्रदान की गई; और

(ग) हिमाचल प्रदेश द्वारा इस योजना के अंतर्गत किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी धनराशि की मांग की गई और उसे किस-किस योजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देवेन्द्रप्पा सवनूर): (क) से (ग) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अधीन पाकिस्तान, बंगला देश तथा म्यानमार की सीमाओं से लगे राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) प्रदान की जाती है। हाथ में ली जाने वाली स्कीमों की किस्म और स्थान से संबंधित निर्णय प्रत्येक राज्य में स्थापित राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा लिया जाता है।

राज्यों द्वारा अपने सीमांत ब्लाकों में सड़कों और पुलों, स्कूल भवनों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण, वनारोपण, लघु सिंचाई परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण जैसी विभिन्न स्कीमें और पुलिस चौकियों के निर्माण, संचार नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण तथा आवासीय भवनों आदि जैसी सुरक्षा संबंधी परियोनजाएं शुरू की गई हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लेह-मनाली मार्ग के अनुरक्षण और रख-रखाव के निमित्त बीएडीपी के अधीन निधियों के लिए अनुरोध किया है। चीन की सीमा से जुड़े राज्यों में बीएडीपी का विस्तार नहीं किया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार को बीएडीपी के अधीन निधियां प्रदान नहीं की जा सकती। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए राज्यवार आवंटन विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

बीएडीपी के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को किए गए आवंटन

(रुपए लाख में)

राज्य	आवंटन		
	1994-95	1995-96	1996-97
असम	437.33	412.00	412.00
गुजरात	793.33	858.00	858.00
जम्मू व कश्मीर	1750.00	2068.00	2068.00
मेघालय	423.34	395.00	395.00
मिजोरम	325.34	273.00	273.00
पंजाब	788.33	854.00	854.00
राजस्थान	2044.00	2563.00	2563.00
त्रिपुरा	981.33	1096.00	1096.00
पश्चिम बंगाल	2457.00	3081.00	3081.00
जोड़	10000.00	11600.00	11600.00

टिप्पणी:—

1994-95 —उपर्युक्त के अतिरिक्त राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 60.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार प्रदान की गई कुल रकम 160.00 करोड़ रुपये है।

1995-96 —उपर्युक्त के अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 60.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार प्रदान की गई कुल रकम 176.00 करोड़ रुपये है।

1996-97 —उपर्युक्त के अतिरिक्त में इंदिरा गांधी नहर परियोजना केलिए 60.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार प्रदान की गई कुल रकम 176.00 करोड़ रुपये है।

Report of Sukhala Commission on the North-East

*28. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the report of Sukhala Commission for the infrastructure development of the North-Eastern Regions has been submitted to Government; and

(b) if so, the salient features of the Report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SVANOOR): (a) and (b) The High Level Commission (HLC) for the North-East, headed by Shri S.P. Shukla, Member, Planning Commission, submitted its Report to the Prime Minister on March 7, 1997.

The HLC critically examined the backlog in Basic Minimum Services and gaps in important sectors of infrastructure development, such as Power, Communications, Irrigation, Flood Control, etc., and has recommended policy initiatives and programmes to bridge these gaps and rejuvenate local economy alongwith measures for institutional reforms, additional resource mobilisation, and effecting public participation in development activities. The HLC has also estimated total cost for providing Basic Minimum Services to the North-Eastern States and indicative requirement of funds for infrastructure development in the Ninth Five-Year Plan.

प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा

*29. **श्रीमती मालती शर्मा:**
प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री अभी हाल ही में नेपाल की यात्रा पर गए थे और वहां पर नेपाल और भारत की सरकारों के बीच कुछ करारों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों के समक्ष नेपाल में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कमार गुजराल): (क) और (ख) भारत के प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान जिन करारों/तथ्यों पर हस्ताक्षर किए गए उनके ब्यौरे विवरण के रूप में सदन के पटल पर रख दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) नेपाल सरकार चाहती है कि भारतीय उद्योगपति नेपाल में अपने उद्योग स्थापित करें। अतः त्वरित निर्धारित मामलों में नेपाल में भारतीय निवेश की वर्तमान सीमा को 25 करोड़ तक तथा उन मामलों में जिनमें विशेष समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है उनमें निवेश की सीमा 50 करोड़ तक करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान किए गए करारों/तथ्यों के ब्यौरे

विद्युत शक्ति व्यापार करार: नेपाल या भारत में कोई भी पक्ष नेपाल और भारत के बीच विद्युत व्यापार के लिए करार कर सकते है, चाहे वे पक्ष सरकारी हों या निजी उद्योग। दोनों पक्ष ऐसे करार की शर्तें निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें संबंधित सरकारें द्वारा अपने-अपने कानूनों और विनियमों के अन्तर्गत ऐसे विद्युत व्यापार के लिए सभी आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन और छूट प्रदान की जाएंगी।

नागर विमानन मामलों पर समझौता ज्ञापन: प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह वर्तमान अधिकृत क्षमता को 4000 से 6000 सीटों तक करने; नेपाली एअर लाइन्स